न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रकरण सं0 119/17
निर्णय दिनांक :–09.04.18

1. दिनेश चन्द भारतीय पुत्र महेश चन्द भारतीय जाति कायस्थ निवासी ए–662 विधुत नगर, शान्तनु पथ, प्रिंस रोड, जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. नाथू लाल पुत्र बजरंग दास जाति स्वामी– फौत
1/1. रूकमा देवी पत्नी स्व0 नाथू लाल
1/2 बिहारी लाल पुत्र स्व0 नाथू लाल
1/3 पवन कुमान पुत्र स्व0 नाथू लाल
1/4 राधा देवी पुत्री स्व0 नाथू लाल
जति स्वामी निवासी बस्सीनागा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 251 ए रा0टी0ऐक्ट

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम बस्सीनागा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के खसरा नंबर 201 रकबा 8 बीघा 18बिस्वा जो प्रार्थीगण के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी में जाने आने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए एवं भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा मवेशियों को लाने ले जाने के लिए खसरा नंबर 224/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बस्सीनागा में से मार्क ए0 से बी0 उक्त भूमि में से 30 फुट रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी की भूमि व चाहे गये रास्ते की भूमि के मध्य खसरा नंबर 202/2, 223/2 गै0मु0 रास्ता बना हुआ है तथा आगे खसरा नंबर 224/1 की भूमि में से आवगमन करते हुए खसरा नंबर 224/1 की भूमि के आगे नाथू महाराज के खेत से जोबनेर से जयपुर जाने वाली सडक तथा नरेगा योजना के तहत् रोड बनी हुई है। खसरा नंबर 224/1 की आराजी में सें रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो प्रार्थी को सबसे सुलभ व नजदीकी रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ते के लिए धारा 251 राज0टी0 एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन व तलब किया गया। दिनांक 10.04.17 को अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री जगवीर

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

सिंह सेवदा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 22.06.17 को तहसीलदार फुलेरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से दिनांक 22.12.17 को जवाब पेश किया गया। दिनांक 20.03.18 को पक्षकारान ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा लिखित बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिए प्रार्थी को नियमानुसार राशि जमा की जाकर रास्ता उपलब्ध करवाया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपने लिखित बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते हेतु आवेदन किया है जबकि आवेदक की आराजी में आने जाने का जयपुर–जोबनेर रोड के उत्तर में रास्ता मार्क पी क्यू आर एस बिन्दु से पूर्व से चालू रास्ता है, प्रार्थी अपनी आराजी में आवगमन करता है जो मुख्य रास्ता है जिसमें कॉलोनी के निवासी व प्रार्थी भी आता–जाता है तथा वर्तमान में रास्ता चालू है। खसरा नंबर 223/1, 223/3, 222/1 कॉलोनी में से होकर रास्ता मौजुद है उक्त खसरा नंबरान में रास्ता आवगमन हेतु सरेण्डर किया हुआ है। वकील अप्रार्थी ने बताया कि खसरा नंबर 222, 223/1, 223/2, 202 एवं 223/2 वाके ग्राम विनोबापुरी में से कॉलोनी व प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी को अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता नहीं है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगणों को नाजायज परेशान करने व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज किया जावें।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 202/2, 223/2 वाके ग्राम विनोबापुरी में से होकर रास्ता उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी. एक्ट का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.04.18 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साम्भरलेक